

बिहार सरकार,
ग्रामीण विकास विभाग
कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश सं०- 169469
(ग्रा0वि01/स्था0(IWDMS)-18/2013

पटना, दिनांक:- 27.11.13

सामान्य प्रशासन के संकल्प संख्या जापांक- 3450 दिनांक- 02.12.2006 द्वारा सचिवालय मुख्यालय में स्थित विभागों में पदस्थापित पदाधिकारी एवं कर्मचारीगण के लिए लागू 5 (पाँच) दिवसीय कार्य प्रणाली के अंतर्गत कार्यालय अवधि 9:30 बजे पूर्वह्न से 6:00 बजे अपराहन निर्धारित है।

उपरोक्त आदेश को सुचारु रूप से कार्यान्वित करने के लिए निम्नलिखित निदेश दिया जाता है:-

- (i) ग्रामीण विकास विभाग में पदस्थापित सभी पदाधिकारी/सभी कर्मचारीगण (चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी एवं चालकों को छोड़कर), जिसमें सभी कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं सुविधा पर नियुक्त कर्मी शामिल हैं। अपने कार्यालय कक्ष/प्रशाखा के कम्प्यूटर पर कार्यालय आने एवं कार्यालय छोड़ने के समय कम्प्यूटर में Login एवं Logout करें। अगर वे कम्प्यूटर में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करेंगे तो उन्हें उक्त तिथि को कर्तव्य से अनुपस्थित माना जाएगा।
- (ii) प्रशाखा पदाधिकारी और जहाँ प्रशाखा पदाधिकारी पदस्थापित नहीं हैं वहाँ प्रभारी पदाधिकारी की व्यक्तिगत जवाबदेही होगी कि वे देखें कि उनके प्रशाखा से संबंधित कर्मी स्वयं ही अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। यदि ऐसी सूचना मिलती है कि किसी कर्मी के बदले अन्य कर्मी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं तो संबंधित कर्मी के साथ-साथ संबंधित प्रशाखा पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी।
- (iii) कर्मचारियों/पदाधिकारियों की सुविधा के लिए यह औपबंधिक निर्णय लिया गया है कि यदि कोई पदाधिकारी/कर्मी किसी परिस्थितिवश विलम्ब से कार्यालय आते हैं या अपने वरीय प्रभारी पदाधिकारी के अनुमति से कार्यालय समय से पूर्व छोड़कर जाते हैं तो उक्त अवधि के 25% अधिक अवधि तक उसी सप्ताह (सोमवार से शनिवार तक) में कार्य कर भरपाई कर सकते हैं। परन्तु यदि कुछ कर्मी आदतन/लगातार काफी विलम्ब से आते हैं तो वह वांछनीय नहीं होगा और वे नियमानुसार कार्रवाई के भागी होंगे।
- (iv) उपरोक्त निर्धारित प्रक्रिया के साथ ही कार्यालय में सधारित उपस्थिति पंजी में भी सभी कर्मी पूर्व की भाँति अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे।
- (v) उपरोक्त आदेश दिनांक- 02.12.2013 (सोमवार) से प्रभावी होगा एवं सभी इसका कड़ाई से अनुपालन करेंगे।
- (vi) उपरोक्त में सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

(प्रमोद कुमार बिहारी)
सरकार के अपर सचिव।

जापांक:- 169469 /पटना, दिनांक:- 27.11.13

प्रतिलिपि:- सभी विभागीय पदाधिकारीगण/सभी विभागीय कर्मचारीगण/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।

जापांक:- 169469 /पटना, दिनांक:- 27.11.13

प्रतिलिपि:- मेसर्स टी0सी0एस0, आई0डब्लू0डी0एम0एस0, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।